मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–26.02.2021 को आयोजित ''राज्य गंगा समिति'' की छठी बैठक की कार्यवाही

सर्वप्रथम प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मुख्य सचिव का एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्य सचिव, बिहार द्वारा प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने का निदेश दिया गया।

2. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि O.A No.-200/2014 M.C Mehta Vs Union of India & Ors. के मामले में मा0 NGT द्वारा दिनांक–08.02.2020 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में एस.टी.पी. एवं सीवरेज नेटवर्क की क्रियान्वित योजनाओं को अपूर्ण रहने तथा वर्तमान में वैसी एस.टी.पी. एवं सीवरेज नेटवर्क की योजनाएं, जो निविदा प्रक्रिया में हैं और अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, की स्थिति में क्रमशः दिनांक–01.07.2020 एवं 01.01.2021 से रू0 10.00 लाख प्रति माह/प्रति योजना की दर से राज्य सरकार द्वारा CPCB को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का आदेश पारित किया गया है, अतः इन सभी योजनाओं का अतिशीघ्र क्रियान्वित किया जाना है।

राज्य गंगा समिति द्वारा संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को सभी योजनाएं गुणवता के साथ मा0 NGT के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए ससमय पूरा कराने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/बुडको/NBCC)

3. प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि गंगा की सहायक नदियों एवं 04 Polluted River Stretches के तट पर अवस्थित 19 शहरों के लिए एस.टी.पी एवं सीवरेज नेटवर्क की योजनाऐं स्वीकृत/प्रस्तावित हैं। इसमें 17 योजनाओं का DPR, NEERI एवं अन्य कंसल्टेंट एजेंसियों के माध्यम से तैयार किया जा रहा है एवं 02 योजनाओं का DPR स्वीकृति हेतु NMCG को भेजा जा चुका है। इस संबंध में राज्य गंगा समिति द्वारा मा0 NGT के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए DPR तैयार कराते हुए अनुवर्ती कार्रवाई ससमय सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– SPMG एवं बुडको)

4. प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा बताया गया कि सिवरेज नेटवर्क एवं एस०टी०पी० की परियोजनाओं में विभिन्न विभागों/प्राधिकारों यथा पथ निर्माण विभाग, NHAI, रेलवे, विभिन्न जिला पदाधिकारियों इत्यादि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा है। इस संबंध में राज्य गंगा समिति द्वारा संबंधित विभागों/प्राधिकारों को निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अंदर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग तथा बुडको को भेजा जाए।

(अनुपालन–पथ निर्माण विभाग, NHAI, रेलवे, संबंधित जिला पदाधिकारी यथा पटना, बेगूसराय, छपरा एवं भागलपुर)

5. निदेशक, हरियाली मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बताया गया कि नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी के दोनों किनारों लगभग 5 कि०मी० तक कुल 13,91,607

पौधरोपण किया गया है तथा वर्ष 2021–22 के लिए लगभग 35 करोड़ रूपए की कार्य योजना का प्रस्ताव 15 मार्च, 2021 तक NMCG को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा तथा इसकी सूचना नगर विकास एवं आवास विभाग को दे दी जाएगी। इस संबंध में राज्य गंगा समिति द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त समयसीमा के अंदर कार्य योजना NMCG को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

6. सदस्य सचिव, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माननीय NGT द्वारा दिनांक–08.02.2021 को पारित आदेश के आलोक में बताया गया कि माननीय NGT द्वारा पूर्व के निदेशों के अनुपालन प्रतिवेदन के अवलोकन के क्रम में आंशिक असंतोषप्रद अभिमत के साथ पर्यावरण क्षतिपूर्ति दण्ड अधिरोपित किया गया है तथा दिनांक–30.06.2021 तक चिहिन्त अवयवों के संबंध में संबंधित विभागों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किये जाने का निदेश संसूचित किया गया है।

7. **ETP/CETPs को अधिष्ठापित करते हुए औद्योगिक बहिस्राव का गंगा एवं इसके सहायक नदियों/नालों में प्रवाह पर रोकथामः–** अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग के द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य में हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरारी (भागलपुर) एवं फतुहा में CETP प्रस्तावित है एवं उसके निर्माण हेतु 6 बार आमंत्रित निविदा में एक भी निविदादाता द्वारा भाग नही लिया गया एवं पुर्ननिविदा हेतु जर्मन कंपनी को नियुक्त किया गया है जिसने सुझाव दिया है कि Tender document में influent characteristics भी शामिल किये जाये इस संबंध में BSPCB से सहयोग मांगा गया था। Member Secretary, BSPCB द्वारा बताया गया कि हाजीपुर CETP का व्यापक सर्वेक्षण करने के बाद influent characteristics उद्योग विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है एवं शेष CETP के लिए भी influent characteristics शीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेंगें।

राज्य गंगा समिति द्वारा वांछित सूचनाएँ उपलब्ध कराने एवं निविदा प्रक्रिया को अविलम्ब सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–उद्योग विभाग/बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति)

8- **Flood Plain Zone चिन्हित करना एवं अतिक्रमण मुक्त करना–** प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नदी के तटबंधों के कारण बिहार के परिप्रेक्ष्य में Flood Plain Zone चिन्हित नही होने के परिप्रेक्ष्य में माननीय NGT द्वारा दिनांक–13.08.2020 को पारित आदेश में NMCG/MoJS एवं CPCB को संयुक्त समिति बनाने का निदेश दिया गया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा परिभाषित Flood Plain मे कतिपय संशोधन हेतु भी माननीय NGT से अनुरोध किया गया है। दिनांक–08.02.2021 को पारित आदेश में संयुक्त समिति को Flood Plain को चिन्हित करने एवं सुरक्षा के संबंध मे निदेश दिया गया है। साथ ही संयुक्त समिति के गठन की सूचना प्राप्त नही होने के संबंध में भी प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही प्रधान सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार में Flood Plain Demarcation कराने की स्थिति में नहीं है, अतः माननीय NGT के आदेशानुसार Scientific Study 20 दिनों के अंदर कराकर माननीय NGT को समर्पित किया जाएगा।

राज्य गंगा समिति द्वारा जल संसाधन विभाग को निदेश दिया गया कि 20 दिनों के अंदर Scietific Study कराकर माननीय NGT को समर्पित किया जाए।

(अनुपालनः–जल संसाधन विभाग/जिला गंगा समिति)

9. **शोधित सीवरेज जलस्राव का उपयोग–** शोधित सीवरेज जलस्राव के उपयोग हेतु जल संसाधन विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग को योजना बनाने हेतु निदेश दिया गया था। उक्त योजना पर दिनांक–07.09.2020 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में इस कार्य हेतु अग्रेतर कार्रवाई नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके आलोक में दिनांक–04.11.2020 को बुडको को कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया। प्रबन्ध निदेशक, बुडको द्वारा सूचित किया गया कि योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु Panelled Consultants को निदेशित किया जा चुका है एवं योजना प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है।

राज्य गंगा समिति द्वारा योजना/प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र तैयार कराते हुए कार्य कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालनः–बुडको)

10. **Preventing & regulating illegal sand mining**–राज्य गंगा समिति द्वारा निदेश दिया गया कि गैर–कानूनी बालू खनन के रोक–थाम के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए माननीय NGT के आदेश का अनुपालन भी कराया जाए।

(अनुपालनः– खान एवं भूतत्व विभाग)

11. राज्य गंगा समिति द्वारा सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला गंगा समिति अध्यक्ष को निदेश दिया गया कि प्रत्येक त्रैमासिक बैठक आयोजित कर नगर विकास एवं आवास विभाग को बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाए तथा अपने जिलांतर्गत संचालित नमामि गंगे योजना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी योजनाओं का अनुश्रवण किया जाए। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में उत्पन्न समस्याओं को तात्कालिक निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन–संबंधित जिला पदाधिकारी)

12. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि NGRBA एवं नमामि गंगे योजनाओं के स्वीकृति आदेश में दिये गये निदेशों का समुचित रूप से बुडको एवं SPMG के स्तर से अनुपालन हेतु कार्यालय आदेश सं–8 एवं 9 दिनांक–24.02.2021 निर्गत किया गया है, जिसका अनुपालन सभी संबंधित पदाधिकारियों द्वारा किया जाना है।

इसी प्रकार सभी जिला गंगा समिति, नगर निगम एवं नगर निकाय को भी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं–2458, दिनांक–07.10.2016 में दिये गये निदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा समेकित निर्देश निर्गत करने एवं राजपत्र में दिये गये इन निदेशों/कार्यालय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– SPMG, बुडको, सभी जिला गंगा समिति, नगर निगम एवं नगर निकाय)

13. प्रधान सचिव, नगर विकास द्वारा बताया गया कि दिनांक–15.06.2021 तक अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन समेकित रूप से दिनांक–30.06.2021 के पूर्व NMCG को उपलब्ध कराया जाना है एवं NMCG द्वारा माननीय NGT मे समर्पित किया जायेगा। इस क्रम में राज्य गंगा समिति द्वारा सभी संबंधित विभागों को दिनांक–15.06.2021 तक की अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन अगले दिन निश्चित रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– सभी संबंधित विभाग)

अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0 / –
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार

ह0 / –
मुख्य सचिव,
बिहार

ज्ञापांक :– BGCMS/2017/नमामि गंगे/53(Part-2) .... न.वि. एवं आ.वि. / पटना, दिनांक................

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, वैशाली, लखीसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, सारण एवं भोजपुर / संबंधित नगर निगम / संबंधित नगर परिषद / संबंधित नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
प्रधान सचिव
नगर विकास आवास विभाग

ज्ञापांक :– BGCMS/2017/नमामि गंगे/53(Part-2) .... न.वि. एवं आ.वि. / पटना, दिनांक................

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार / अध्यक्ष, बिहार राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण पर्षद / प्रबन्ध निदेशक, बुडको / सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद / क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भू–जल पर्षद / निदेशक, हरियाली मिशन / महाप्रबन्धक, एन.बी.सी.सी. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
प्रधान सचिव
नगर विकास आवास विभाग।

ज्ञापांक :– BGCMS/2017/नमामि गंगे/53(Part-2) ....80.... न.वि. एवं आ.वि. / पटना, दिनांक....27/07/2021....

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / उद्योग विभाग / पंचायती राज विभाग / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग / खान एवं भूतत्व विभाग / जल संसाधन विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / कृषि विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/21

प्रधान सचिव
नगर विकास आवास विभाग।